IV 130 ①

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA NON

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 261887

MAR 2012

स्व0 चन्द्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री स्मारक ट्रस्ट

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास आज दिनांक 02/05/2012 को सदर गाजीपुर में उमाशंकर सिंह पुत्र श्री श्री राम निवास सिंह ग्राम व पो0- सेवराई, निवास खण्ड भदौरा तहसील- जमानियां जिला-गाजीपुर उ0 प्र0 द्वारा घोषित किया गया।

जिन्हे आगे न्यासकर्ता / संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता / संस्थापक पर रूपया 5000/– (पांच हजार रूपये मात्र) की राशि है। जिसे वो एक पुण्यार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते है। न्यासकर्ता / संस्थापक उक्त राशि का आप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र मे कार्य करेगा क्योंकि यह ट्रस्ट स्व0 चन्द्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री स्मारक ट्रस्ट के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे की आगे संक्षिप्त मे ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे की आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता / संस्थापक की यह भी इच्छा है कि विभिन्न स्रोतों से दान उपकार ऋण आदि भी सम्मिलित है जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों मे प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता / संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 5000/–रू0 पांच हजार रूपया) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान

(1) उमाशंकर सिंह क्रमशः/2

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये | रु. 100 | Rs. 100 | ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH | AS 261888

की है । और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम–सेवराई ,पोस्ट–सेवराई विकास खण्ड मदौरा तहसील –जमानियां जिला–गाज़ीपुर रहेगा एवं प्रशासिनिक कार्यालय ग्राम –सेवराई ,पोस्ट सेवराई विकास खण्ड [redacted] व तहसील–जमानियां जिला –गाजीपुर होगा अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर उस कार्यालय को समयानुसार समय–समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा तथा प्रदेश कार्यालय लखनऊ उ0प्र0 में रखा जायेगा।

क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उददेश्यों के पूर्ति नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जा सकता है।

1– स्व0 चन्द्रशेखर .ज़ी पूर्व प्रधानमंत्री स्मारक ट्रस्ट

<u>(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)</u>

<u>उददेश्य एवं नियमावली</u>

<u>ट्रस्ट के उददेश्य –</u> ट्रस्ट नियम उददेश्यों पूर्ति के लिए कार्य करेगा ।

1– बिना लिंग भेद किये सबके लिए प्राथमिक पाठशाला जूनियर हाईस्कूल,इण्टरमीडिएट कालेज महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षा संकास शारीरिक शिक्षासंकाय पुस्तकालयों वाचनालयों,प्रयोगशालाओं , चिकित्सालयों,अनाथालयों, वृद्धाआश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रो, सर्वेक्षण केन्द्र सामुदायिक विकाश केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना करना नामकरण विकास ,सम्बद्ध आबद्ध प्रबन्धन संचालन आदि कर सकता तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों विभागों, प्रतिष्ठानों संस्थाओ, स्थानों, शासन आदि से मान्य समद्ध, आबद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत करा सकना।

2– ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना।

3– खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।

क्रमशः/3

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

भारत

INDIA

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 27AB 161569

इस स्व0 चन्द्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री स्मारक ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य खादी ग्रामद्योग का कार्य करने वाली संस्थाओं/समितियों के कार्य में हर प्रकार से सहायता देना एवं उनकी समस्याओं का समाधान करना है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग/बोर्ड, केन्द्रीय/राजकीय सरकार से संबद्ध मंत्रालयों एवं अभिकरणों तथा खादी ग्रामोद्योगी कार्य करने वाली विवादों/समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास करना। जनता से आत्मनिर्भरता एवं सुदृढ़ ग्राम स्वराज्य की भावना पैदा करने से व्यापक उद्देश्य का क्रियान्वयन करना।

क– ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र के लिये पंजीकष्त प्रमाणित एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग/राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त घोशित एवं कार्यरत संस्थाओं, समितियों के कार्य संचालन एवं विकास कार्यक्रमों में सहयोग देना व करना।

ख– खादी ग्रामोद्योग से सम्बधित इस प्रकार के कच्चे एवं पक्के माल का संग्रह करना तथा उनके विपणन की व्यवस्था करना।

ग– खादी ग्रामोद्योग के विकासार्थ इससे संबंधित इस प्रकार की कच्ची पक्की वस्तुओं की आयात और निर्यात की व्यवस्था करना।

घ– संस्था कि आवश्यकता के लिए कच्चा माल मंगाने तथा रूई, रंग, मसाले, सरजाम के सामान तेलहन, संगाई–छपाई आदि के सामानों की व्यवस्था करना।

ड.– संस्थाओं की आवश्यकतानुसार खादी, पोली वस्त्र एवं ग्रामोद्योगी उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले सभी प्रकार के कच्चे माल को सुलभ करना, उनके प्रमाणकीकरण कि तथा संस्थाओं द्वारा उत्पादित माल के बिकी की व्यवस्था करना।

च– खादी और ग्रामोद्योग के कार्य में लगी संस्थाओं को प्रोत्साहन व अभिवृद्धि में सहायता पहुंचाना

उमाशंकर सिंह

क्रमशः/4

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 27AB 161571

छ– [illegible] ग्रामोद्योग से [illegible] प्रकार के कामों में संस्थाओं को मार्ग दर्शन [illegible] जानकारियों का आदान–प्रदान करना।

ज– हर प्रकार की हर स्तर को बड़ी–छोटी खादी ग्रामोद्योग वस्तुओं की प्रदर्शनी का आयोजन करना व कराना, सेमीनार और विचार–गोष्ठियों तथा बड़ी सभाओं की व्यवस्था करना व करवाना।

झ– उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुदान, सहायता, ऋण देना आदि खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सरकार, राजकीय संस्थाओं स्वैच्छिक संस्थाओं सामाजिक सेवा में सभी राश्ट्रीय या अन्तर्राश्ट्रीय संस्थाओं व्यक्तियों से प्राप्त करना एवं खर्च करना।

ट– खादी ग्रामोद्योग के प्रचार–प्रसार द्वारा क्षेत्रीय विशमता, बेरोजगारी विवारण तथा ग्राम्य विकास हेतु प्रदेश में स्वैच्छिक संस्थाओं का विकास खण्ड स्तर पर गठन करना, संगठित करना तथा उन्हें आवष्यक तकनीकी व वित्तीय मदद हेतु एसोसिएषन द्वारा सदस्यों के लिए प्रयास करना।

ठ– खादी ग्रामोद्योग के कार्य को गांव–गांव तक अधिकाधिक प्रसार की दृष्टि से प्रमाणित व वित्तपोशित संस्थाओं, समितियों को राज्य सरकार बोर्ड तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं भारत सरकार व अन्य वित्तीय अभिकरणों से कराना राहत सहित आर्थिक व अन्य साधन सुविधायें उपलब्ध कराना तथा करना।

ड– ट्रस्ट संस्थाओं/समितियों के मध्य अथवा संस्थाओं व समितियों से संगठन या व्यापारिक विवाद में समझौता हेतु प्रयास करना।

(4)

क्रमशः /5

③

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 27AB 161572

5– कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोक कर जल संरक्षा एवं नमी संरक्षण करना।

6– उद्यानीकरण एवं जंगलात का विकास करना।

7– महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।

8– प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।

9– कृषि संगीत संबन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।

10– केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन समाज कल्याण नाबार्ड कपार्ट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड महिला कल्याण नेहरू युवा केन्द्र खेलकुद युवा कल्याण ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रम का संचालन करना।

11– आई0आई0टी0, आई0टी0आई0 फार्मेसी, नर्स, ट्रेनिंग, आपरेशन टेक्निशियन, लैब टेक्निशियन, फिजियोथीरैपी, आदि मेडिकल तथा पैरा मेडिकल कालेजों, पालिटेक्निक कालेज, इंजीनियरिंग बी0 फार्मा एम0 फार्मा आदि कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना

12– समाज के लोगो के लिए हास्टिल नर्सिंग होम स्वास्थ्य केन्द्र मेडिकल स्टोर जनरल स्टोर किराना की दुकान, फोटो स्टेट, कम्पनी फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।

13– पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र / पत्रिकाओं, समाचार– पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण, बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।

14– अन्धे गूंगे, बहरे, असहाय लोगों के लिये शिक्षा चिकित्सा, आवास भोजन, इत्यादि की व्यवस्था करना।

उमाशंकर सिंह

क्रमशः /6